जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मई, 2018

सा.का.िन. 149.— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम 2008 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में अवर श्रेणी लिपिक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, अवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,–
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा |

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद |
|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| अवर श्रेणी | 99* | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 | अचयन |
| लिपिक, | (2018) | 'ग', | (रु.19900) | |
| | | (अराजपत्रित) सचिवीय | | |
| | *कार्यभार के आधार | | | |
| | पर परिवर्तन किया जा | | | |
| | सकता है। | | | |

| (6) | (7) |
|---|---|
| 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच | (İ)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा |
| (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी | 12 उत्तीर्ण ; और |
| सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। | (İİ) हस्तचालित टाइपराइटर पर अँग्रेजी में तीस |

टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवाधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गित; या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में शब्द प्रति मिनट या 35 शब्द प्रति 30 हिन्दी में 10 अनुज्ञात समय (मिनट शब्द 35 प्रति मिनट) (मिनट शब्द 30 और प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए कुंजी 5 डिप्रेशन की औसत पर कुंजी डिप्रेशन प्रति 10500/घंटा 9000 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटा के समनुरूप है)

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । | भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|--|---------------------------------|---|
| (8) | (9) | (10) |
| आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हाँ | दो वर्ष | पचासी प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा और पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । |

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा । (11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर –I (18000 रु) में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के ऐसे समूह 'ग' (सचिवीय) कर्मचारियों और स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई शैक्षिक अर्हताएँ रखने वालों में से, निम्नलिखित रीति में,

- (i) पाँच प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ii) दस प्रतिशत केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, जिन्होने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

परीक्षा के लिए पात्रता हेतु साधारण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष और अनुसूचित जतियों तथा अनुसूचित जनजतियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।

परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नप्रकार होगा :

- (i) निबंध और सार लेखन (100 अंकों के बराबर)
- (ii) सामान्य अँग्रेजी और सामान्य ज्ञान (100 अंकों के बराबर)

प्रशिक्षण: प्रशासनिक नियमानुसार राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, रायपुर अथवा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली से दो सप्ताह का प्रशिक्षण आवश्यक है ।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा |
|--|------------------|--|
| · · | | आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (12) | | (13) |
| समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के | लागू नहीं होता । | |
| लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: | | |
| 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड | अध्यक्ष | |
| 2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का कोई समूह 'क' अधिकारी | सदस्य | |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड | सदस्य | |

[फा. सं. ए -31013/02/2017-के.भू.ज.बो.] अनिल कुमार वाही, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 9th May, 2018

- **G.S.R.** 149.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Lower Division Clerk, Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:—
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Lower Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix.** The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualifications.** No person,—
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the Pay | Whether selection post or |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Matrix | non- selection post |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Lower | 99*(2018) | General Central | Level-2 (Rs.19900) | Non-selection. |
| Division | *Subject to variation | Service, Group 'C', | in the Pay Matrix. | |
| Clerk. | depend on work load. | (Non-Gazetted), | | |
| | | Ministerial. | | |

| Age-limit for direct recruits. | |
|--------------------------------|--|
| (6) | |

Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age limit in case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

| Educational and other | qualifications req | quired for direct recruits. |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | (7) | |

- (i) 12th Class pass from a recognised Board or University; and
- (ii) a typing speed of thirty words per minute in English or twenty-five words per minute in Hindi on manual typewriter; or
- a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.
- (Time allowed 10 minutes)
- (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour/9000 key depressions per hour on an average of 5 keys depressions for each word).

| Whether age and educational | Period of | Method of recruitment whether by direct recruitment or by |
|--------------------------------------|---------------|--|
| qualifications prescribed for direct | probation, if | promotion or by deputation / absorption and percentage of |
| recruits will apply in the case of | any. | vacancies to be filled by various methods. |
| promotees. | | |
| (8) | (9) | (10) |
| Age : No | Two years | Eighty- five per cent by direct recruitment and fifteen per cent |
| Educational Qualification : Yes | | by promotion. |

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

Promotion:

Group 'C' (Ministerial) employees of the Central Ground Water Board in the level-1 (Rs.18,000) in the pay matrix and possessing educational qualifications specified for direct recruits under column (7) in the following manner:

- (i) five per cent. on the basis of seniority-cum-fitness with three years regular service in the grade; and
- (ii) ten per cent. through Departmental Competitive Examination conducted by Central Ground Water Board with three years regular service in the grade.

The maximum age limit for eligibility for examination shall be 45 years for general candidates and 50 years of age for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

The syllabus of the examination shall be as under:—

- (a)Essay and precis writing (comprising 100 marks);
- (b)General English and General Knowledge (comprising 100 marks).

Training:

Two weeks training in enabling Administrative Rules must be required from the National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. | |
|---|--|-----------------|
| (12) | | (13) |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering proonfirmation) consisting of:- | romotion and | Not applicable. |
| 1. Director (Administration), Central Ground Water Board | – Chairman | |
| 2. A Group 'A' officer of the Central Ground Water Board | – Member | |
| 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board | – Member. | |